

PBR/निगरानी/भोपाल/भू-सं/2017/2033

श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर एट भोपाल म0प्र0।

प्रकरण कमांक/निगरानी/2017

पूरनसिंह आत्मज रामप्रसाद आयु वयस्क
जाति मेहर व्यवसाय कृषि निवासी ग्राम
बिनेका तहसील बैरसिया जिला भोपाल

म0प्र0.....

विरुद्ध

हरगोविन्द आत्मज उमरावसिंह मेहर आयु वयस्क
निवासी ग्राम बिनेका तहसील बैरसिया जिला
भोपाल म0प्र0.....

आवेदक/निगरानीकर्ता

105
श्री. रामप्रसाद सिंह
दिनांक. 22/06/17
को पेश।
अनुमोदक

अनावेदक

निगरानी अंतर्गत धारा 50 भू0रा0संहिता

श्रीमानजी,

आवेदक की और से निम्न निवेदन है कि-

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण

1- यह कि अनावेदक द्वारा राजस्व प्रकरण कमांक 65 अ/12/15-16 मे राजस्व निरीक्षक से कराये गये सीमांकन दिनांक 22/06/2016 के आधार पर आवेदक की भूमि खसरा नंबर 383/1, 560/1 को अनावेदक की भूमि खसरा कमांक 380, 381, 382/1, 384/2, 386/3 की भूमि बताते हुये आवेदक का अनाधिकृत कब्जा होना दर्शाया जाने के आधार पर अनावेदक ने धारा 250 भू0रा0सं0 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पर राजस्व प्रकरण कमांक 3/अ70/16-17 (हरगोविन्द बि0 पूरनसिंह) दर्ज रजिस्टर हुआ है।

2- यह कि निगरानीकर्ता/आवेदक ने उक्त प्रकरण मे जबाब प्रस्तुत करते हुये अभिकथन किया है कि आवेदक के कब्जा मे व स्वत्व, स्वामित्व मे सन् 1974 इ0 से पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर कय की गई भूमि 2 एकड भू-भाग है। और

आवेदक ने अनावेदक की भूमि को (कमांक 380, 381, 382/1

384/1, 386/3 पर

2

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक PBR/निगरानी/भोपाल/भू.रा./2017/2033


स्थान तथा दिनांक

कार्यवाही तथा आदेश

पक्षकारों एवं अभिभाषकों
आदि के हस्ताक्षर

11-7-2017

आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । तहसील न्यायालय के आदेश दिनांक 11-5-17 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय द्वारा उक्त आदेश से आवेदक की ओर से प्रस्तुत व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 6 नियम 17 का आवेदन पत्र संशोधन की आवश्यकता नहीं होने से निरस्त किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । आवेदक को अपना पक्ष दस्तावेजी/मौखिक साक्ष्य से प्रस्तुत करने का अवसर उपलब्ध है । फलस्वरूप यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है ।


(मनोज गोयल)
अध्यक्ष